



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110016

क्रमांक:एफ21(03) ला.ब.शा.रा.सं.वि.वि./हिन्दी रा.भा./2020-21/652

दिनांक: 23.12.2020

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 07.12.2020 को कुलपति समिति कक्ष में अपराह्न 1:00 बजे आहूत की गई। जिसमें हिन्दी राजभाषा के प्रयोग हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है :-

(क) हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1. प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-हिन्दी राजभाषा	अध्यक्ष
2. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	वेद वेदांग संकाय प्रमुख	सदस्य
3. प्रो. हरेश्वर त्रिपाठी	दर्शन संकाय प्रमुख	सदस्य
4. प्रो. केदार प्रसाद परोहा	आधुनिक विद्या संकाय प्रमुख	सदस्य
5. प्रो. के.भारत भूषण	शिक्षाशास्त्र संकाय प्रमुख	सदस्य
6. प्रो. जयकुमार उपाध्ये	साहित्य एवं संस्कृति संकाय प्रमुख	सदस्य
7. प्रो. सविता	प्रोफेसर (हिन्दी)	सदस्य
8. श्री जे.पी.सिंह	सहायक कुलसचिव (प्रशासन-III)	सदस्य
9. श्री राज कुमार	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-III)	संयोजक

(ख) हिन्दी राजभाषा जांच बिन्दु/मॉनिटरिंग समिति

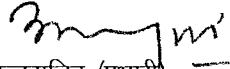
1. डॉ. अलका रॉय	वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव (प्रभारी)	अध्यक्ष
2. प्रो. सविता	प्रोफेसर (हिन्दी)	सदस्य
3. प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-हिन्दी राजभाषा	सदस्य
4. प्रो. के.एस.सतीश	एसोसिएट प्रोफेसर (अ.वेदान्त)	सदस्य
5. डॉ. आरती शर्मा	सहायक प्रोफेसर (शिक्षा)	सदस्य
6. श्रीमती सुष्मा डेमला	सहायक कुलसचिव (लेखा)	सदस्य
7. श्री राकेश काण्डपाल	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	संयोजक

(ग) हिन्दी कार्यशाला/प्रतियोगिता समिति

1. प्रो. सविता	प्रोफेसर हिन्दी	अध्यक्ष
2. प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-हिन्दी राजभाषा	सदस्य
3. डॉ. अभिषेक तिवारी	सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी)	सदस्य
4. डॉ. बी. कामाक्षम्मासहायक	प्रोफेसर (साहित्य)	सदस्य
5. श्रीमती भारती त्रिपाठी	सहायक कुलसचिव (प्रशासन-1)	सदस्य
6. श्रीमती वन्दना	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-1)	संयोजिका

उक्त समिति के सदस्य महानुभावों से आग्रह है कि वे अपने समिति से संबंधित कार्य को सम्पन्न करते हुए की गई कार्यवाही से समिति के अध्यक्ष को अवगत कराते हुए समय-समय पर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

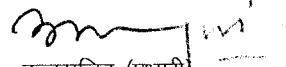
यह आदेश सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जारी किया जा रहा है।


कुलसचिव (प्रभारी)

संलग्नक : समिति की बैठक का कार्यवृत्त (दिनांक 07.12.2020 एवं 03.12.2020) उचित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपर्युक्त समस्त सदस्य महानुभावों की सेवा में सूचनार्थ
2. प्रो० बिहारी लाल शर्मा, कुलानुशासक एवं निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110016
3. श्री विपिन कुमार त्रिपाठी, शोध एवं सांख्यिकी अधिकारी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110016
4. निजी सचिव-कुलपति/कुलसचिव
5. संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि वे इस सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली
7. कार्यालय आदेश पंजिक


कुलसचिव (प्रभारी)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, पुरुष सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110018

कार्यवृत्त

आज दिनांक 07.12.2020 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कुलपति समिति कक्ष में अपराह्न 1:00 बजे राजभाषा को प्रयोग एवं व्यवहार में लाने से संबंधित बैठक आहूत की गई। बैठक में 19 अक्टूबर 2020 को ऑनलाईन राजभाषा निरीक्षण एवं नराकास दक्षिणी दिल्ली -3 के अध्यक्ष तथा विचार-विमर्श में शामिल अन्य सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों से प्राप्त निरीक्षण प्रश्नावलियों के सार बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में निम्नलिखित महानुभाव सदस्य उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम	पद
1.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	कुलपति
2.	डॉ. अलका रॉय	विभागाधिकारी एवं कुलसचिव (प्रभारी)
3.	डॉ. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-हिन्दी राजभाषा
4.	श्रीमती वन्दना	अनुभाग अधिकारी (शैक्षणिक-वर्ग)

कुलसचिव द्वारा 19.10.2020 एवं 18.11.2020 के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के बिन्दुओं से अवगत कराया गया तथा समिति द्वारा गंभीर चर्चा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए :-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की सूचना एवं कार्यवृत्त की प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भिजवाई जाए।
2. नराकास की बैठक में कार्यालय प्रमुख / प्रतिनिधि भाग लेंगे।
3. (क) मानक फॉर्म द्विभाषी किए जाएँ।
(ख) अंग्रेजी की रबड़ की मोहरों को द्विभाषी किया जाए।
(ग) आंतरिक प्रशासनिक बैठकों के कार्यवृत्त हिन्दी / द्विभाषी किए जाएँ।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी किया जाए। इस संबंध में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएँ।
5. 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएँ।
6. 'क' एवं 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएँ।
7. हिन्दी प्रशिक्षण के लिए सभी अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
8. हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी टंकक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाए।
9. हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए।
10. कार्यालय में मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जाए।
11. कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिन्दी / द्विभाषी रूप में की जाएँ।
12. सभी सेवा पुस्तकों में प्रविष्टियां हिन्दी / द्विभाषी रूप में की जाएँ।

11/12/2020

(2). इसके पश्चात् 18.11.2020 के संबंध में प्राप्त निरीक्षण प्रश्नावलियों के सार पर चर्चा की गई। इन प्रश्नावलियों के सार में भी उपर्युक्त बिन्दुओं के जैसे ही बिन्दु थे। अतः इस में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर उचित कार्यवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

(3). हिन्दी राजभाषा के प्रयोग हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया।

(क) हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति

I.	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष—हिन्दी राजभाषा	अध्यक्ष
II.	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	वेद वेदांग संकाय प्रमुख	सदस्य
III.	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	दर्शन संकाय प्रमुख	सदस्य
IV.	प्रो. केदार प्रसाद परोहा	आधुनिक विद्या संकाय प्रमुख	सदस्य
V.	प्रो. के.भारत भूषण	शिक्षाशास्त्र संकाय प्रमुख	सदस्य
VI.	प्रो. जयकुमार उपाध्ये	साहित्य एवं संस्कृति संकाय प्रमुख	सदस्य
VII.	प्रो. सविता	प्रोफेसर (हिन्दी)	सदस्य
VIII.	श्री जे.पी.सिंह	सहायक कुलसचिव (प्रशासन—III)	सदस्य
IX.	श्री राज कुमार	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन—III)	संयोजक

(ख) हिन्दी राजभाषा जांच बिन्दु/मॉनिटरिंग समिति

1.	डॉ. अलका रॉय	वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव (प्रभारी)	अध्यक्ष
2.	प्रो. सविता	प्रोफेसर (हिन्दी)	सदस्य
3.	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष—हिन्दी राजभाषा	सदस्य
4.	प्रो. के.एस.सतीश	एसोसिएट प्रोफेसर (अ.वेदान्त)	सदस्य
5.	डॉ. आरती शर्मा	सहायक प्रोफेसर (शिक्षा)	सदस्य
6.	श्रीमती सुषमा डेमला	सहायक कुलसचिव (लेखा)	सदस्य
7.	श्री राकेश काण्डपाल	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	संयोजक

(ग) हिन्दी कार्यशाला/प्रतियोगिता समिति

I.	प्रो. सविता	प्रोफेसर हिन्दी	अध्यक्ष
II.	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष—हिन्दी राजभाषा	सदस्य
III.	डॉ. अभिषेक तिवारी	सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी)	सदस्य
IV.	डॉ. बी. कामाक्षम्मा	सहायक प्रोफेसर (साहित्य)	सदस्य
V.	श्रीमती भारती त्रिपाठी	सहायक कुलसचिव (प्रशासन—1)	सदस्य
VI.	श्रीमती वन्दना	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन—1)	संयोजिका

(प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय) (अलका रॉय)

(जगदेव कुमार शर्मा)

(वन्दना)



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

बी - 4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली - 110016.

कार्यवृत्त

आज दिनांक 03.12.2020 को कुलसचिव महोदया की अध्यक्षता में कक्ष संख्या 02 में अपराह्न 4.00 बजे हिंदी राजभाषा को प्रयोग एवं व्यवहार में लाने से सम्बंधित बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

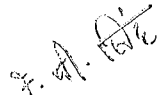
1. डॉ. (श्रीमती) अलका राय - कुलसचिव एवं विनाधिकारी
2. डॉ. नक्षत्र पाल सिंह, विशेषाधिकारी (परीक्षा)
3. श्रीमती सुषमा डेमला, सहायक कुलसचिव (लेखा)
4. श्री सुद्धा सिंह, सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
5. श्री मंजीत सिंह, सहायक कुलसचिव (प्रशासन -II)
6. श्रीमती भारती त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव (प्रशासन - I)
7. श्री जय प्रकाश सिंह, सहायक कुलसचिव (प्रशासन -III)

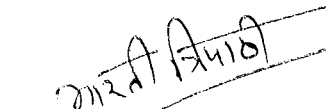
कुलसचिव महोदया द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2020 को संसदीय राजभाषा समिति बैठक में विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सभी उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया:

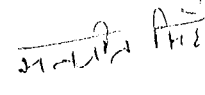
- 1) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में (हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) जारी किया जाना सुनिश्चित करना, जैसे :- सामान्य आदेश, अधिसूचनाएँ, जापन, प्रेस विज्ञापितियाँ / टिप्पणियाँ, संविदाएँ, करार लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस (i) क्रय विक्रय सम्बन्धी (ii) सिविल / अन्य कार्य सम्बन्धी, संकल्प, नियम संसद के सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज़-पत्र (रिपोर्टों के अलावा) संसद के सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, जो अपने उच्चतर कार्यालयों को भेजी जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में या द्विभाषी रूप में जारी किए जाए।
- 2) सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिंदी में या द्विभाषी की जाएं।
- 3) सहायक कुलसचिव (प्रशासन-III) यह सुनिश्चित करें की बैनर, खड्क की मोहरें, साईन बोर्ड, नामपट्ट, प्रपत्र, संकेतक, निमंत्रण पत्र तथा प्रदर्शन सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार हो।

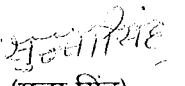
- 4) वेतन बिल / पर्ची हिंदी में या द्विभाषी रूप में बनाई जाए शीर्ष रजिस्ट्रों पर शीर्ष नाम तथा विवरण भी द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में) लिखा जाए।
- 5) सभी विभागों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाए।
- 6) बैठकों में वार्तालाप / कार्यवाही (कार्य सूची) एजेण्डा तथा कार्यवृत्त / मिनट्स हिंदी में ही सुनिश्चित की जाएं।
- 7) कम्प्यूटरों पर यूनिकोड समर्थित हिंदी फॉन्ट को सुनिश्चित किया जाए।
- 8) सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित कराया जाए कि पत्रावली में टिप्पणियां और प्रारूपण / पत्राचार हिंदी भाषा में ही किया जाए।
- 9) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बंधित सूचना जो वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाती है, उसको भी द्विभाषी या हिंदी भाषा में किया जाए।
- 10) छात्रों / अभ्यर्थियों से सम्बंधित सूचना भी वेबसाइट के माध्यम से हिंदी भाषा में प्रदान की जाए।

अंत में कुलसचिव (प्र.) एवं वित्ताधिकारी महोदया द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एकत्रित होकर बैठक को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया एवं भविष्य में भी निष्ठापूर्वक सहयोग देने का सुझाव दिया।


(जे. पी. सिंह)

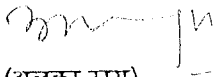

(भारती त्रिपाठी)


(मंजीत सिंह)


(सुजा सिंह)


(सुषमा डेमला)


(नक्षत्र पाल सिंह)


(अलका राय)